अध्याय-5

किस्तवार के दौरान किया जानेवाला कार्य

रूपरेखा

1. मानचित्र निर्माण एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी 31
2. अमीन की प्रतिनियुक्ति एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचित किया जाना 32
3. किस्तवार के कियान्वयन के प्रक्रम 33
   (i) मानचित्र का निर्माण एवं वितरण 33
   (ii) त्रि-सीमानों एवं मुस्तकिलों की पहचान एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का दायित्व 34
   (iii) ग्राम-सीमा का सत्यापन 35
   (iv) खेसरों की नम्बरिंग 38
   (v) ग्राम आबादी/बस्ती का सीमांकन तथा राजस्व ग्राम के नक्शे का चादरों में विभाजन 39
   (vi) खेसरों से सम्बन्धित अलामतों का तत्संगत फीचर लेयर में एकत्रण या भौतिक विवरणी 40
   (vii) एरिया स्टेटमेंट एवं खेसरों का (Parent-Child) सम्बन्ध विवरण..... 41
   (viii) खानापुरी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व का चेकलिस्ट..... 41
4. खानापुरी के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जानेवाला कार्य..... 42
5. खानापुरी के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का दायित्व तथा खानापुरी दल के साथ समन्वय 42
6. खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात् हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जानेवाला कार्य..... 43

1. मानचित्र निर्माण एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी–बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 2(iv) के अनुसार किस्तवार से अभिप्रेत है 'कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भू-खंडकरण'। चूंकि भू-मानचित्र का निर्माण आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाना है। अतः इस चरण का क्रियान्वयन मूल रूप से मानचित्र निर्माण में संलग्न हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाना है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 6, उपधारा (1) में आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार को विवेचित किया गया है। इस धारा के प्रावधान के अनुसार ''किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा धरातल मानचित्रण

(Base Mapping), सीमांकन (Village and Plot Boundary Demarcation) तथा जमीनी सत्यापन (Ground Truthing) सहित इस निमित्त अधिकथित प्रकिया के अनुसार किया जा सकेगा।''

विशेष सर्वेक्षण प्रकिया में तैयार किये जाने वाले मानचित्रों को भारत सरकार की DILRMP (Digital India Land Record Modernization Program) योजना के तहत वर्णित शुद्धता मानकों के अनुरूप किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मानचित्र निर्माण के क्रम में निम्नलिखित कार्य चरणबद्ध रूप से संपादित किये जाएंगे।

2. अमीन की प्रतिनियुक्ति एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचित किया जाना–प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त का दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से विशेष सर्वेक्षण अमीनों को सम्बन्धित राजस्व ग्राम में विशेष सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति, पहचान–पत्र के साथ करेंगे तथा इसकी सूचना सम्बन्धित एजेंसी एवं शिविर प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भी देंगे। अंचलवार शिविर कार्य–योजना से एजेंसियों को लगभग 10 दिन पूर्व अवगत कराया जाएगा। एजेंसी आवश्यकतानुसार ETS/DGPS/सपोर्ट स्टाफ को जमीनी सत्यापन एवं नापी हेतु उपलब्ध कराएगी।

प्रभारी पदाधिकारी यथा सम्भव किसी एक अंचल के विभिन्न आसन्न मौजों के लिए अमीनों की प्रतिनियुक्ति करेंगे जिससे सीमा सत्यापन एवं तीन सीवाना निर्धारण में सुविधा हो। किसी भी परिस्थिति में अंचल में इक्का–दुक्का मौजों में अमीनों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए। सर्वेक्षणार्थ गठित शिविर के सभी ग्राम अनिवार्य रूप से एक–दूसरे से सटे हुए होने चाहिए।

प्रत्येक 20 अमीनों पर एक कानूनगो/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो अमीनों द्वारा किए जा रहे किस्तवार कार्य में अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगे। कानूनगो/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, किस्तवार कार्य की समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह कार्य का प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धित बन्दोबस्त कार्यालय एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में प्रतिनियुक्त सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अमीन डायरी का सत्यापन कर मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।

किस्तवार कार्य हेतु सम्बन्धित अमीन को पहचान–पत्र के साथ विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भण हेतु सूचना बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाएगा उक्त सूचना पर यथासंभव अमीन द्वारा **स्थानीय मुखिया/ हारे हुए मुखिया, सरपंच/हारे हुए सरपंच तथा बड़े कास्तकारों** से हस्ताक्षर प्राप्त कर बन्दोबस्त कार्यालय में तामीला सौपा जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को किस्तवार कार्य की जानकारी प्राप्त हो सके साथ ही अमीन के बदले कोई अन्य व्यक्ति अमीन बन कर किस्तवार या सर्वे कार्य नहीं कर सके। किस्तवार से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समापन 30 दिनों से अनधिक अवधि में करना आवश्यक होगा।

3. किस्तवार के कियान्वयन के प्रक्रम–

(i) मानचित्र वितरण एवं प्राथमिक दायित्व

(ii) त्रि–सीमानों एवं मुस्तकिलों की पहचान और दो मुस्तकिलों का DGPS ऑब्जर्वेशन

(iii) ग्राम–सीमा का सत्यापन

(iv) खेसरों की नम्बरिंग

(v) ग्राम आबादी/बस्ती का सीमांकन तथा राजस्व ग्राम का चादरों में विभाजन

(vi) खेसरों से सम्बन्धित अलामतों या भौतिक विवरणी का तत्संगत फीचर लेयर में एकत्रण

(vii) एरिया स्टेटमेंट एवं खेसरों का Parent-Child सम्बन्ध विवरण

(vii) खानापुरी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व का चेकलिस्ट

(i) मानचित्र का निर्माण एवं वितरण–हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट की स्थापना किया जाना है तथा हवाई सर्वेक्षण के उपरांत मानचित्र निर्माण किया जाना है। सत्यापित ऑर्थोफोटो के डिजिटाइजेशन के उपरांत बन्दोबस्त कार्यालय/सर्वेक्षण शिविर को मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मानचित्र पर विशेष सर्वेक्षण (S.S-Special Survey) की सरजमीनी सीमा को मोटी रेखा से हार्ड कॉपी में प्रदर्शित करेंगी तथा पुरानी कैडेस्ट्रल सर्वे/रिवीजिनल सर्वे (C.S-Cadastral Survey/RS Survey/चकबंदी) की सीमा को हल्के रंग से केवल संदर्भ हेतु प्रदर्शित करेंगी। एजेंसी पूरे ग्राम के क्षेत्रफल की तुलना कैडस्ट्रल/रिविजनल सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर करेगी तथा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी जिसमें ऐसे सभी राजस्व ग्रामों को एजेंसी द्वारा चिह्नित किया जाएगा जिनके ग्राम के कुल क्षेत्रफल में 5% से ज्यादा का अंतर है। किस्तवार प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिनियुक्त अमीन मूल कैडेस्ट्रल मानचित्र एवं हार्ड कॉपी में संदर्भ हेतु दर्शायी गई सीमा का मिलान कर लेंगे कि आवंटित ग्राम अपनी आकृति की साम्यता प्रदर्शित कर रहा है एवं मानचित्र आवंटित ग्राम का ही है।

किस्तवार कार्य हेतु हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा शिविर को उपलब्ध कराये गये मानचित्र की हार्ड कॉपी की विवरणी का बंदोबस्त कार्यालय के रजिस्टर में संधारण किया जाएगा।

इस संदर्भ में निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(ii) त्रि-सीमानों एवं मुस्तकिलों की पहचान एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का दायित्व–त्रि-सीमाना वह बिन्दु है जहाँ विभिन्न तीन मौजों की सीमा आपस में मिलती हो। नक्शे पर यह तोखा लाईन के साथ दर्शाया जाता है जो नक्शे पर एक जरीब (जरीब को मैट्रिक में कन्वर्जन करना है।) हट कर दो राजस्व ग्रामों के मध्य उभयनिष्ठ सीमा का रूख बताते हुए पाँच जरीब की लाईन बनी रहती है।

त्रि-सीमाना जो नक्शे पर दर्शाया गया हो, सरहद जाँच के समय ही ज्ञात किया जा सकता है। यदि वर्तमान विशेष सर्वेक्षण मानचित्र की सीमा पर त्रि-सीमाना पत्थर स्थल पर मौजूद हो, तो भी टाई लाईन से इसकी शुद्धता की जाँच की जाएगी। वर्तमान किस्तवार प्रक्रिया के अनुसार त्रि-सीमाना खानापुरी के लिए दिये गये नक्शे में चिन्हित किया जाएगा।

जहाँ तीनों मौजा की सीमा मिलती हो तीनों राजस्व ग्राम सीमा के इसी मिलन बिन्दु को त्रि-सीमाना के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसके ऑर्थो मान (अक्षांश-देशांतर) का डाटाबेस में संधारण कर लिया जाए जिससे दुबारा मुस्तकिल कायम करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं इन्हें नक्शे पर अंकित कर दिया जाएगा भविष्य में मानचित्र या सीमा सम्बन्धी विवाद की स्थिति में इसी कॉर्डिनेट मान (x, y) के सहारे त्रि-सीमाना बिन्दु पर पहुँचा जा सके। त्रि-सीमाना बिन्दुओं का उपयोग मुस्तकिल के रूप में किया जाना है। (अमीन द्वारा मौजा के सत्यापित सीमा जो ई. टी. एस. के सहयोग से निर्धारित किया गया है ऐसे संलग्न तीनों मौजा का सीमा ऑर्थोफोटो में प्रदर्शित करेंगे एवं जहाँ तीनों मौजों की सीमा आपस में मिलती हों वह बिन्दु टाईजंक्सन बिन्दु होगा।)

त्रि-सीमानों के अतिरिक्त हरेक मौजा में 2 वैसे मुस्तकिल जो सार्वजनिक प्रकृति (सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, कुँआ आदि) के हों, का चयन कर लिया, जाना आवश्यक होगा। अत: दुबारा मुस्तकिल कायम करने के आवश्यकता नहीं होती है और नक्शे पर अंकित किया जाना है, साथ ही उनका Co-ordinates (x, y, z) भी संकलित कर लिया जाना है। चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इनका स्थायित्व अधिक से अधिक वर्षों तक बना रहे।

चयन किए गए मुस्तकिलों में से दो सुविधाजनक मुस्तकिलों को T.C.P. के रूप में चिह्नित किया जाना है जिसका 45 मिनट का DGPS आब्जर्वेशन पोस्टमार्किंग के रूप में किया जाएगा तथा इसके (x, y, z) मान को GCP के नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। z मान T.C.P. की ऊँचाई समुद्र तल से (MSL-Mean Sea Level) प्रदर्शित करता है। ऐसी कोशिश की जाएगी कि अमुक दोनों मुस्तकिल सुविधाजनक स्थान पर होने के साथ-साथ राजस्व ग्राम में अधिकतम दूरी पर अवस्थित हों। ध्यातव्य है कि जमीन पर मुस्तकिल का जो भी आब्जर्वेशन कोर्डिनेट है वो आर्थोफोटोग्राफ के कोर्डिनेट से मैच करना चाहिए। त्रुटि पाए जाने की स्थिति में एजेंसी का दायित्व होगा कि त्रुटि निवारण का निर्धारित शुद्धता मानकों के साथ मानचित्र का सुधार कर पुन: समर्पित करें।

(iii) ग्राम-सीमा का सत्यापन–सर्वप्रथम अमीन, ETS ऑपरेटर के साथ मौजा के सरहद की चौहद्दी का भ्रमण कर सभी मुस्तकिल स्थलों की जाँच करेंगे। (कार्ययोजना एवं आवश्यकता अनुसार एजेंसी द्वारा इ टी एस एवं सपोर्टिंग स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा) मुस्तकील वह स्थान है जो गत सर्वे से आज तक सही स्थान पर सही रूप से कायम है, जैसे त्रि-सीमाना पत्थर, चार-सीमाना पत्थर, कुआँ, पेड़, तिमेड़ा आदि।

किस्तवार में ग्राम-सीमा सत्यापन की प्रक्रिया

सर्वप्रथम किस्तवार प्रारंभिक चरण में एजेंसी द्वारा दिए गए मानचित्र एवं ग्राम का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार कुल रकबा का मिलान अमीन द्वारा विगत कैडस्ट्रल/रिविजनल सर्वे के अनुसार ग्राम के कुल रकबा से किया जाएगा। दोनों मानचित्रों के रकवा में 5% से अधिक का अंतर दृष्टिगोचर होता है तो इसकी सूचना अमीन द्वारा कानूनगो एवं शिविर प्रभारी को दी जाएगी। आकृति का प्रथम दृष्टया मिलान भी किया जाएगा एवं यदि आकृति में ज्यादा परिवर्त्तन परिलक्षित होता है तो इसकी सूचना शिविर प्रभारी को दी जाएगी।

जिन ग्रामों का रकबा कैडस्ट्रल सर्वेक्षण/विशेष सर्वेक्षण/चकबन्दी मानचित्र की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक दृष्टिगोचर होता है उसके सम्बन्ध में अमीन द्वारा शिविर प्रभारी को सूचित किया जाएगा।

शिविर प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन ग्रामों के रकबा में 5% से अधिक का अंतर पाया जाता है तो उसका प्रतिवेदन कारण के साथ तैयार कर जिला सर्वेक्षण कार्यालय के माध्यम से भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सम्बन्धित एजेंसी को संसूचित कर दिया जाएगा।

अमीन द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का जमीनी सत्यापन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। अमीन सम्बन्धित राजस्व ग्राम में प्रवेश के पश्चात् सर्वप्रथम वैसे बिन्दुओं की पहचान करेगा जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र एवं स्थल दोनों में प्रदर्शित हो रहे हों। तत्पश्चात् स्थल में पहचान किए गए दोनों बिन्दुओं के बीच की दूरी E.T.S. द्वारा निकाली जाएगी तथा तत्संगत दूरी गणना मानचित्र पर भी प्रदर्शित उन्हीं दो बिन्दुओं से की जाएगी। इस प्रक्रिया को अमीन द्वारा एक मौजे में दो भिन्न दिशाओं में दुहराया जाएगा।

ग्राम-सीमा का सत्यापन–चयनित राजस्व ग्राम एवं उसके सन्निकट ग्रामों का अमीन अपने-अपने ग्राम की साझा मिलान सीमा पर एक साथ किसी भी बिन्दु से कार्य प्रारंभ करेंगे। इस दौरान अमीन के पास विशेष सर्वेक्षण मानचित्र/कैडस्ट्रल सर्वेक्षण मानचित्र/चकबन्दी मानचित्र एवं सीमावर्ती खेसरों की यथासंभव उपस्थिति में ग्राम-सीमा सत्यापन का कार्य प्रारंभ करेंगे। दोनों अमीन विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर प्रदर्शित सीमा-रेखा (Boundary line) का मिलान वर्तमान जमीनी हकीकत से करेंगे। यदि दोनों में भिन्नता पाई

जाती है तो सरजमीनी वास्तविकता को लाल स्याही से विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर अंकित करेंगे। तीन ग्रामों अथवा चार ग्रामों की सीमा के सम्मिलन बिन्दु अर्थात् त्रिसीमाना (tri-junction) पर पहुँचने के पश्चात् संलग्न राजस्व ग्रामों में एक-एक मुस्तकिल की पहचान कर टाईलाईन की दूरी ETS से ज्ञात करेंगे और त्रि-सीमाना (tri-junction) को विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर नियत जगह पर अंकित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुस्तकिल की पहचान ऐसे बिन्दुओं के रूप में की जानी है जो कैडस्ट्रल सर्वेक्षण/रिविजनल सर्वेक्षण/चकबन्दी, विशेष सर्वेक्षण एवं जमीन तीनों पर एक साथ सामान्तया उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में जहाँ मुस्तकिल की पहचान कर पाना संभव नहीं है तो वैसी स्थिति में निकटतम (सन्निकट) आसन्न ग्राम में चिह्नित मुस्तकिल से दूरी के आधार पर ग्रामों की सीमा-रेखा एवं त्रि-सीमाना का निर्धारण किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में जहाँ ग्राम अथवा उसके आसन्न ग्राम में विगत सर्वेक्षण सम्बन्धी कोई भी मुस्तकिल उपलब्ध नहीं हो वहाँ वर्तमान में जमीन की वास्तविक ग्राम-सीमा का निर्धारण विगत सर्वे के ग्राम-सीमा का संदर्भ लेते हुए विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम-सीमा के आधार पर किया जाएगा।

ग्राम-सीमा सत्यापन के क्रम में आनेवाली कठिनाईयाँ एवं उनका समाधान—ग्राम-सीमा सत्यापन के दौरान निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ हैं जिनका समाधान निम्न रूप से दी गई समस्या एवं उसकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग तरीके से किया जाएगा

(i) सीमावर्ती खेसरों पर रैयतों का शांतिपूर्ण दखल न होना—ग्राम-सीमा पर अवस्थित खेसरों के रैयती प्रकृति होने की स्थिति में यदि किसी सीमावर्ती खेसरा का रैयत आसन्न सन्निकट ग्राम की सीमा के अंदर खेसरा अथवा निकट के राजस्व ग्राम के अपने स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में सीमा पर स्थित खेसरों के वर्तमान दखल कब्जा एवं जमीन पर परिलक्षित सीमा-रेखा के अनुसार सीमा-रेखा का निर्धारण किया जाएगा एवं रैयतों के रकबा सम्बन्धी विवाद का निपटारा सुनवाई की प्रक्रिया के प्रक्रम में किया जाएगा।

(ii) सीमावर्ती खेसरों के विलय होने की स्थिति में—ग्राम-सीमा पर यदि किसी रैयत द्वारा अपने स्वामित्व वाले दो आसन्न राजस्व ग्रामों के सीमावर्ती खेसरा/खेसराओं को मिलाकर एक खेसरा का निर्माण कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में रैयत से स्वामित्व सम्बन्धी कागजात की माँग की जाएगी यदि रैयत द्वारा दोनों राजस्व ग्रामों से सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं तो सीमा-रेखा का निर्धारण जमीन पर रैयत के कागज के अनुसार मापी कर मानचित्र में सीमा-रेखा को लाल स्याही से अद्यतन कर दिया जाएगा। यदि रैयत विलय किए गए दोनों खेसराओं का कागजात एक ही सम्बन्धित राजस्व

ग्राम से प्रस्तुत करता है तो जमीनी वर्तमान स्थिति (हकीकत) के अनुसार मानचित्र में सीमा-रेखा निर्धारित की जाएगी।

(iii) ग्राम-सीमा पर नदी का प्रसार हो जाना या पूर्व की नदी का स्थान परिवर्तन किया जाना—यदि किसी ग्राम की सीमा पर पूर्व की स्थिति के विपरीत नदी का प्रवाह पाया जाता है तो कैडस्ट्रल मानचित्र के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या खत्म करने के लिए स्थल से सम्बद्ध जलमग्न किसी एक राजस्व ग्राम की सीमा को यथावत रखा जाएगा तथा आसन्न जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा से जहाँ भी गैप ओवरलैप उसे 'f' लगाकर यूनिक (अद्वितीय) ग्राम-सीमा तैयार कर ली जाएगी।

इसके विपरीत यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा-रेखा पर पूर्व की स्थिति के विपरीत नदी का स्थान परिवर्तन हो जाता है और स्थान परिवर्तन के उपरांत नदी के प्रभाव के पूर्व क्षेत्र पर रैयतों द्वारा अलग-अलग खेतों का निर्माण कर लिया जाता है तो उस स्थिति में नदी के स्थान परिवर्तित क्षेत्र में नए बने खेतों के मेड़ में जो मेड़ सीमा-रेखा पर स्थित होगा उसे ही ग्राम-सीमा मान लिया जाएगा। नवनिर्मित खेतों के खेसराओं का नम्बरिंग किस्तवार के आरंभिक चरणों में की जाएगी और स्वामित्व के अनुसार सम्बन्धित खेतों को मिलाकर यथायोग्य खेसरा या खेसरों को निर्मित किया जाएगा यदि समस्त भूमि सरकारी है तो उक्त खेसरा का एक नं० दिया जाएगा।

(iv) ग्राम-सीमा पर सड़क नहर इत्यादि भौतिक संरचनाओं के स्वरूप में अंतर आने की स्थिति में—यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा पर सड़क है तथा दोनों राजस्व ग्राम मौजों के बीच में स्थापित है तो पूर्व के मानचित्र की तरह सड़क को दोनों तरफ से मौजों में प्रदर्शित किया जाएगा तथा सीमा-रेखा को जो सड़क के मध्य से जाएगी उसे डॉटेड लाईन से दिखाया जाएगा।

यदि पूर्व में सड़क का चौड़ीकरण भू-अर्जन, सतत् लीज या भूमि हस्तांतरण के माध्यम से किया गया हो तथा अर्जित भूमि पर पूर्व के रैयतों का दखल हो तो उक्त स्थिति में भी/अर्जित/स्थानान्तरित भूमि पर सड़क प्रदर्शित किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्र में कोई सड़क अगर वर्तमान में अतिक्रमित है तो उसे पूर्व के सड़क के अनुरूप खेसरे के रूप में उपदर्शित किया जाएगा।

(v) आबादी क्षेत्र में सीमा का सीमांकन—यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा पर आबादी क्षेत्र हो एवं सीमा-रेखा पता नहीं चल रहा तो उक्त स्थिति में रैयतों के दखल के आधार के साक्ष्यों के अनुसार सीमा-रेखा का निर्धारण किया जाएगा।

(vi) हवाई सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त एरियल मानचित्र के पश्चात् सरजमीन पर यदि बहुत

सारे परिवर्तन जो भूमि के अंतरण या अन्य कारणों से सरजमीन पर परिलक्षित हो उन परिवर्तनों को भी अमीन द्वारा मानचित्र में दर्शाया जाएगा।

(vii) आसन्न राजस्व ग्रामों के पूर्ण या आंशिक जलमग्न होने की स्थिति में सीमा के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या खत्म करने के लिए स्थल से सम्बद्ध आंशिक जलमग्न किसी एक राजस्व ग्राम की सीमा को यथावत रखा जाएगा तथा आसन्न जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा से जहाँ भी गैप ओवरलैप हो उसे 'f' लगाकर यूनिक (अद्वितीय) ग्राम-सीमा तैयार कर ली जाएगी।

(viii) दो कार्यकारी शिविरों की सीमा पर आसन्न ग्राम के मध्य सीमा विवाद होने पर दोनों शिविर प्रभारी बन्दोबस्त पदाधिकारी (यदि अलग-अलग जिलों के शिविर हों तो अपने-अपने बन्दोबस्त पदाधिकारी) को पूरे विवाद की सूचना देंगे एवं आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश एवं आदेश प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् जिला बन्दोबस्त कार्यालय के आलेख शाखा में प्रतिनियुक्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी कानूनगो तथा अमीन दोनों शिविरों के सभी सम्बन्धित कर्मियों की उपस्थिति में सीमा विवाद का निराकरण करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन बन्दोबस्त पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। सीमा विवाद निराकरण की पूरी प्रक्रिया को अभिलेखबद्ध कर स्पष्ट सीमा का निर्धरण किया जाएगा। इस कार्य में माप सम्बन्धी प्रक्रिया में सहयोग के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी यथा आवश्यक अपने सपोर्टिंग स्टाफ को ई.टी.एस. मशीन के साथ दल को उपलब्ध कराएगी।

(ix) राज्य के सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्राम की सीमा-निर्धारण की प्रक्रिया—सम्बन्धित बंदोबस्त पदाधिकारी सीमा से सटे दूसरे राज्य के जिला पदाधिकारी/बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचित करें कि निर्धारित तिथि उनके अमीन एवं राजस्व पदाधिकारी मानचित्र के साथ उपस्थित रहेंगे।

(x) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्व ग्राम अवस्थित होने पर एवं सीमा के निर्धारण में कठिनाई आने पर इसकी सूचना निदेशालय/राजस्व विभाग को देंगे।

इस सम्बन्ध में ग्राम सीमा निर्धारण करने के सम्बन्ध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 725, दिनांक 20.04.2018 का अवलोकन एवं अनुपालन आवश्यक होगा।

गंग शिकस्त, गंग बरार, दो या अधिक नदियों का संगम आदि के कारण किसी मौजा की सीमा में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे मामलों को अमीन, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे, स्वयं निर्णय नहीं लेंगे। सामान्यत: जो भाग नदी में विलय हो गया हो उसे डॉट लाईन से दर्शाया जाता है।

(iv) खेसरों का नम्बरिंग–राजस्व ग्राम मानचित्र (विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर) एवं ग्राम-सीमा सत्यापन के पश्चात् किस्तवार प्रकरण की अगली प्रक्रिया सभी खेसरों की क्रमवार (उ.प. से द. पू. की ओर) नम्बरिंग (अमीन द्वारा किया जाना है) है। भू-खण्डों (Parcels) का Working Sheet में अंकन (Numbering) का कार्य खानापुरी प्रारंभ करने के पूर्व किया जाना है ताकि क्षेत्रफल का सही मूल्यांकन किया जा सके। विशेष सर्वेक्षण अमीन कृषि क्षेत्रों तथा आबादी/बस्ती क्षेत्रों की नम्बरिंग लगातार करेंगे। इसके साथ ही यदि विशेष सर्वेक्षण अमीन किसी खेसरा को विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में विभाजित करता है तो अपने फिल्ड बुक में कटान किये गये खेसरों की दूरी (Dimension) को अवश्य ही नोट कर लेंगे ताकि कम्प्यूटर पर नया प्लॉट तैयार करने का कार्य त्रुटिरहित रूप से किया जा सके। अमीन द्वारा एक ही रैयत के स्वामित्व के खेत/पार्सल जो नक्शे में क्रमिक रूप से अवस्थित हों तो उन्हें एक ही खेसरा बनाया जाएगा। (अमीन द्वारा खेसरा में किये गये विभाजन एवं उसका Dimension नक्शा के साथ एजेंसी को उपलब्ध करायेंगे।) यहाँ अमीनों के लिए आवश्यक है कि किस्तवार में कोई भी खेसरा वर्किंग शीट पर अंकित होने से छूट न जाये। अगर कोई खेसरा छूट जाता है तो ग्राम का Area Statement दोषपूर्ण होगा एवं परवर्ती चरण में ज्यादा सुधार की आवश्यकता पड़ेगी।

अमीन द्वारा एरियल मानचित्र के आधार पर सम्बन्धित राजस्व ग्राम के स्थल सत्यापन में पाया जाता है कि पूर्व मानचित्र के किसी विशेष खेसरा में वर्तमान सर्वे में रैयत द्वारा मकान अथवा अन्य संरचना तैयार की गई है जिसके कारण एरियल सर्वे मानचित्र में मकान और परती भूमि अलग-अलग खेसरा के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं तो इस स्थिति में नए मानचित्र में मकान समेत खेसरा को एक ही खेसरा माना जाएगा। यदि मकान और परती भूमि के स्वामित्व में अन्तर पाया जाता है तो अलग-अलग खेसरा का निर्माण किया जाना है तद्नुसार हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी को अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित किया जाना है। अगर स्वामित्व एक ही रैयत का पाया जाता है तो एक ही खेसरा का निर्माण किया जाना है। प्राय: ग्रामीण क्षेत्र के आबादी वाले भाग में दो रैयतों के आवासीय क्षेत्र की भूमि आपस में मिली हुई होने के कारण मानचित्र में अलग-अलग खेसरा नहीं बन पाता है अथवा त्रुटिपूर्ण बनता है जिस कारण खेसरा पर स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में रैयत के स्वामित्व सम्बन्धी कागजात के आधार पर मानचित्र में खेसरों का निर्माण अलग-अलग किया जाना ज्यादा व्यवहारिक होगा।

(v) ग्राम आबादी/बस्ती का सीमांकन तथा राजस्व ग्राम के नक्शे का चादरों में विभाजन–मोटे तौर पर आबादी/बस्ती का प्राथमिक सीमांकन शिविर प्रभारी, एजेंसी एवं ग्राम के अमीन के साथ एजेंसी के लैब या लैपटॉप पर निर्दिष्ट किया जाएगा। (अमीन एवं शिविर प्रभारी संयुक्त रूप से आबादी क्षेत्र का लाल सियाही से चिन्हित कर एजेंसी से प्राप्त हार्ड कॉपी को पुन: एजेंसी को उपलब्ध करायेंगे। तद्नुसार एजेंसी द्वारा आबादी/बस्ती का

मानचित्र तैयार कर खानापुरी हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।) आबादी/बस्ती सीमांकन के लिए सघन घरों/मकानों के अधिकतम फैलाव को सीमांकित कर लिया जाएगा। ग्राम के आबादी/बस्ती वाले भाग को 'क', 'ख', 'ग' इत्यादि से क्रमिक रूप से वर्णित किया जाएगा तथा उसका मानचित्र वृहतर स्केल मीट्रिक, यूनिट प्रभाषित होनी चाहिए। अर्थात् 1:1000 के स्केल पर निर्मित किया जाएगा। मूल मानचित्र के जिस अंश पर आबादी/बस्ती दर्शाने के लिए 'क', 'ख', 'ग' इत्यादि लिखा रहेगा वहीं पर चादर संख्या का संदर्भ भी वर्णित किया जाएगा अर्थात् किस चादर में अमुक बस्ती का 1:1000 के स्केल पर बना हुआ मानचित्र उपलब्ध है। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एक से अधिक आबादी/बस्ती को भी एक ही चादर में सुविधानुसार प्रदर्शित कर सकेंगी। आबादी/बस्ती वाले चादरों की संख्या का निर्धारण मूल चादरों की संख्या के बाद वर्णों के क्रमानुसार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप– यदि किसी राजस्व ग्राम का फैलाव 1:4000 के स्केल पर पाँच चादरों में है तथा इस ग्राम में तीन सघन आबादी/बस्ती/टोला बसा हुआ है। तीनों पृथक टोलों के लिए क्रमशः 'क', 'ख', 'ग' वर्ण उल्लेखित किया गया है। 'क' और 'ख' दोनों टोलों को 1:1000 के स्केल पर एक चादर में तथा 'ग' को 1:1000 के स्केल पर अन्य चादरों में प्रदर्शित किया गया है तो 'क' एवं 'ख' वाले चादर की संख्या 5+1= ''6'' होगी तथा 'ग' वाले चादर की संख्या 6+1=''7'' होगी। चादर संख्या निर्धारण की यही क्रमानुसार प्रक्रिया अन्य ग्रामों के लिए भी अपनाई जाएगी।

चादरों के विभाजन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि चादर की मार्जिन लाईन के अनुवर्ती कोई खेसरा खंडित नहीं हो रहा हो। खंडित होने वाले खेसरों का अधिकांश अंश जिस चादर में पड़ रहा हो उसे उसी चादर में प्रदर्शित किया जाए। खेसरों को उसकी पूर्णता में किसी एक चादर में ही प्रदर्शित किया जाएगा अर्थात् कोई नियत खेसरा हमेशा Closed Polygon के रूप में किसी एक चादर में केवल एक बार ही प्रदर्शित होगा।

ऐसे किसी भी सघन बसावट (Inhabitation) को आबादी/बस्ती/टोला के रूप में दर्शाया जाएगा जहाँ भिन्न-भिन्न घरों की न्यूनतम संख्या 10 से अधिक हो। अमीन सघन बसावट के परिधि जो निकटतम मेड़ उसे घेर रहा हो, को आबादी की सीमा के रूप में अंकित करेंगे। यदि मौजा में टोला बस गया हो तो अमीन टोले की सीमा को मोटे लाइन से दिखायेंगे।

(vi) खेसरों से सम्बन्धित अलामतों या भौतिक विवरणी का तत्संगत फीचर लेयर में एकत्रण–सर्वेक्षण प्रक्रिया से विदित है कि पुराने जमाने से ही नक्शा बनाने का अर्थ है ग्राम के स्थल की प्रतिकृति (Recreaton of reality) तैयार करना। पूर्व के समस्त सर्वे में भी चिह्नों की मदद से खेसरे की पहचान और स्थल की वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाता था।

वर्तमान में भी तर्कसंगत है कि इसके लिए अमीन किसी भी खेसरा में यथासंभव सरजमीन पर मिलने वाले उन समस्त अलामतों (चिन्हों) की सूची बना लें जिसे नक्शे पर चिह्नित किया जा सकता हो। यहाँ यह बतलाना उचित होगा कि पूर्व में चूँकि एक ही कागज पर समस्त अलामत चिन्हों को दर्शाने की बाध्यता होती थी इसलिए केवल उन्हीं अलामत चिन्हों को लिया जाता था, जो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। बहुत सारे अलामत चिन्हों को मजबूरी में छोड़ना पड़ता था।

आज कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर के बदौलत ऐसे जितने भी अलामत चिन्ह हों, उन्हें संकलित करना संभव और आसान है। इससे नक्शे के उपयोग में कई गुणा वृद्धि हो जाती है और सरकार के लिए बहुत से सर्वेक्षण सम्बन्धी निर्णयन आसान हो जाते हैं। खानापुरी के बाद GIS कार्यों के लिए भी इससे काफी सहूलियत मिलती है। अमीनों को ऐसे प्रत्येक खेसरा के सभी स्थायी चिह्नों को सूचीबद्ध कर लेना चाहिए यथा– कुआँ, भवन, बड़े पेड़, टावर इत्यादि जिनका आकार लगभग 4 वर्गमीटर या उससे अधिक हो।

खेसरों की भौतिक विवरणी के सम्बन्ध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

(vii) एरिया स्टेटमेंट एवं खेसरों का (Parent-Child) सम्बन्ध विवरण–विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा राजस्व ग्राम के कृषि क्षेत्रों तथा आबादी/बस्ती/टोलों में नम्बरिंग कार्य संपन्न किए जाने के बाद शिविर प्रभारी को समर्पित किया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी नम्बरिंग वाले वर्कशीट के आधार पर राजस्व ग्राम के लिए एक एरिया स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसमें प्रत्येक खेसरा का क्षेत्रफल दिया रहेगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि समस्त खेसरों के क्षेत्रफल का योग राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल के बराबर हो।

क्षेत्र (फिल्ड) से संकलित समस्त संशोधनों (अपडेट्स) को मानचित्र में समावेशित कर किस्तवार प्रक्रिया के उपरांत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा पूर्व के कैडेस्ट्रल खेसरों से वर्तमान विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के खेसरों का निम्न प्रपत्र में (Parent-Child) सम्बन्ध विवरण प्रदर्शित करेंगे एवं सॉफ्ट कॉपी शिविर प्रभारी को समर्पित करेंगे।

विशेष सर्वेक्षण में राजस्व ग्राम के खेसरों की क्रमवार संख्या	कैडेस्ट्रल सर्वे के ऐसे सभी खेसरों की संख्या जिनका योगदान वर्तमान खेसरे को निर्मित करने में आंशिक रूप से है। (Parcel number of all the parent plots contributing partially)	कैडेस्ट्रल सर्वे के ऐसे सभी खेसरों की संख्या जिनका योगदान वर्तमान खेसरे को निर्मित करने में पूर्ण रूप से है। (Parcel number of all the parent plots contributing completly)

(viii) खानापुरी प्रारंभ करने के पूर्व का चेकलिस्ट–(i) ग्राम में उपलब्ध सभी त्रि-सीमानों को तीनों ग्रामों के मुस्तकिल से मिलाकर मानचित्र पर अंकित कर लिया गया हो एवं मानचित्र पर दर्शाया गया हो।

(ii) ग्राम-सीमा को सत्यापित और नियत (uniquely fix) कर लिया गया है और आसन्न ग्रामों के साथ गैप-ओवरलैप की समस्या का निराकरण कर लिया गया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में भविष्य के लिए और वितरित किए जाने वाले ग्राम मानचित्र एवं Land Parcel Map (LPM) में रकबा सम्बन्धी किसी परिवर्तन की संभावना नहीं बची है।

(iii) राजस्व ग्राम मानचित्र पर किसी नियत बिन्दु का निर्देशांक (Co-ordinate) एवं उसी बिन्दु का जमीन पर डी.जी.पी.एस. से मापे गए निर्देशांक में 20 से.मी. से ज्यादा का अंतर नहीं है।

(iv) राजस्व ग्राम मानचित्र पर एक कि.मी. से अधिक की दूरी पर पहचाने गए दो स्थायी फीचर की दूरी एवं उसी स्थायी फीचर के बीच जमीन पर ई.टी.एस. से नापी गई दूरी का अंतर आबादी वाले क्षेत्रों में (1:1000 स्केल के लिए) 10 से.मी. तथा ग्राम के अन्य क्षेत्रों में (1:4000 स्केल के लिए) 20 सेमी से अधिक नहीं है।

(v) सर्वेक्षण दल द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार करते वक्त स्थल पर खेसरावार उपलब्ध सभी स्थायी चिह्नों/अलामतों/फीचरों को अंकित कर लिया गया है।

(vi) एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने वाले Land Parcel map (LPM) में खेसरों के चिह्नों/अलामतों/फीचरों को दर्शाया गया है अथवा नहीं।

(vii) सभी मानचित्रों को 1:4000 के नए स्केल पर दर्शाया गया है न कि 1:3960 (16 ईंच = 1 मील) के पुराने स्केल पर।

(viii) एजेंसी द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के शीर्षक में वर्णित सूचनाओं (यथा जिला का नाम-, अंचल का नाम, ग्राम का नाम एवं थाना संख्या आदि) वर्तमान संदर्भ में अद्यतन कर लिया गया है अथवा नहीं।

4. खानापुरी के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जानेवाला कार्य–(1) एजेंसी द्वारा सरजमीन के अनुसार दिये गये मानचित्र में सर्वेक्षण पदाधिकारी द्वारा संशोधन के पश्चात् एजेंसी मानचित्र में सुधार करेगा तथा उक्त संशोधित मानचित्र खानापुरी हेतु शिविर कार्यालय को हस्तगत कराई जाएगी (1:4000)।

(2) किस्तवार पूर्ण होने पर उपलब्ध मानचित्र के आधार पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Parents child relation की विवरणी विहित प्रपत्र में soft copy में शिविर प्रभारी को समर्पित किया जाएगा।

(3) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय सम्बन्धित खेसरा पर स्थल सत्यापन में पाए गए उपलब्ध सभी स्थायी चिन्हों/अलामतों/फीचरों को अंकित किया जाएगा।

5. खानापुरी के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का दायित्व तथा खानापुरी दल के साथ समन्वय–

- बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामवार एवं अंचलवार कार्य–योजना के आलोक में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आवश्यकतानुसार ETS/DGPS एवं ऑपरेटर उपलब्ध करायेंगे।
- फिल्ड अपडेट के बाद खानापुरी प्रारंभ करने हेतु प्रत्येक स्तर पर राजस्व ग्राम का 1:4000 पर तथा आबादी क्षेत्रों का 1:1000 पर मानचित्र (हार्ड कॉपी में) समर्पित करेंगे। एजेंसी मानचित्र के साथ खेसरावार Parent-Child रकबा विवरणी भी देंगी (सॉफ्ट कॉपी में)।
- अमीन/सर्वेक्षण कर्मी द्वारा जमीनी हकीकत के अनुसार खेसरावार किए गए परिवर्तनों को मानचित्र के सॉफ्ट कॉपी में समाविष्ट करेगी।
- खानापुरी प्रक्रम में अमीन/सर्वेक्षण कर्मी द्वारा संशोधित मानचित्र एवं तद्नुसार रकबा विवरणी अंतिम रूप से निर्धारित हो जाने के बाद हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मानचित्र (हार्ड कॉपी में) रकबा विवरणी (सॉफ्ट कॉपी में) तद्नुसार सर्वेक्षण शिविर में समर्पित करेंगी।
- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी शिविर प्रभारी से अधिकार अभिलेख इंटर ऑपरेबल डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त करेंगी तथा मानचित्र के खेसरों के साथ उसे समेकित करेंगी (Spatial & Textual Intergration) तथा तदनुसार LPM (Land Parcel Map) निर्मित करेगी एवं हार्ड कॉपी वितरित करेगी तथा सॉफ्ट कॉपी सर्वेक्षण शिविर प्रभारी को समर्पित करेगी।

  (हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रपत्र–8 में आक्षेप रहने की स्थिति में अभ्युक्ति कॉलम में केवल हाँ तथा वाद संख्या अंकित की जाएगी।)
- एजेंसी प्रारूप प्रकाशनार्थ मानचित्र की स्वच्छ हार्ड कॉपी विहित टेम्पलेट में शिविर प्रभारी को समर्पित करेंगी।

6. खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जानेवाला कार्य–

- हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रपत्र–13 के अन्तर्गत प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का सॉफ्ट डाटा में संधारण तथा DTDB (Digital Topographic Data Base) में फ्लैगिंग किया जाएगा।

(हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रपत्र–13 में आक्षेप रहने की स्थिति में केवल हाँ एवं आक्षेप संख्या अंकित किया जाएगा।)

- विश्रांति के पूर्व फिल्ड से आने वाले मानचित्र–सह–अधिकार–अभिलेख के समस्त संशोधनों को संपन्न कर लिया जाएगा।
- विश्रांति के दौरान मानचित्र–सह–अधिकार अभिलेख के सारे संशोधन पूर्ण होने के पश्चात् तथा अंतिम प्रकाशन के पूर्व हवाई सर्वेक्षण एजेंसी भौतिक एवं तार्किक रूप से शुद्ध लेयरवार डाटा DTDB (Digital Topographic Data Base) बन्दोबस्त कार्यालय एवं निदेशालय को समर्पित करेंगी।

●